# न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

**रसद प्रार्थना पत्र सं. 24/2018**

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

**बनाम**

नासिक स्टॉव रिपेयर
केजीएन ट्रेवल्स के नीचे चोधर मोहल्ला, अजमेर जरिए
नासिक पुत्र मानव नि0चौधर मोहल्ला, अजमेर .....अप्रार्थी

**उपस्थित :–**

1.श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

## आदेश

**दिनांकः– 19.06.2018**

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 13.03.2018 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यवसायिक दुरूपयोग/घरेलु सिलेण्डरों के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी द्वारा मय दल अप्रार्थी के नासिक स्टॉव रिपेयर चौधर मौहल्ला, अजमेर की जॉच किये जाने पर अप्रमाणित गैस सिलेण्डरों को उपभोक्ताओं को किराये पर दिया जाना पाया गया। गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा अप्रमाणित गैस सिलेण्डरों को भण्डारण कर उपयोग हेतु उपभोक्ताओं को किराये पर दिया जाना एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के खण्ड 4 (1) (e) 6 का उल्लघंन होने के कारण 03 अप्रमाणित गैस सिलेण्डरों को राजहित में कब्जेराज लेकर मैसर्स ख्वाजा गैस सर्विस, अजमेर, के कार्मिक श्री हनुमान पुत्र श्री सोहनलाल निवासी पाल बीचला, अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया। अतः कब्जेराज लिये गये 03 अप्रमाणित गैस सिलेण्डरों को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बाद तामीली के अनुपस्थित है, कोई जवाब या साक्ष्य,सबूत प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 13.03.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अप्रमाणित गैस सिलेण्डरों को उपभोक्ताओं को किराये पर दिया जाना पाया गया। गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रमाणित गैस सिलेण्डरों को भण्डारण कर उपयोग हेतु उपभोक्ताओं को किराये पर दिया जाना एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 4 (1) (e) 6 का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये उक्त अप्रमाणित सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावें।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित है। उनकी ओर से प्रार्थना पत्र कथनों को जरियें जवाब अथवा सबूत के खण्डन नहीं किया गया है। इससे उपरोक्त अवैध कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। इनका यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एवं वितरण) आदेश 2000 के क्लोज 4 (1) (e) 6 की अवेहलना है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा कब्जेराज लिये गये उक्त 03 अप्रमाणित सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत् राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी उक्त जब्त सिलेण्डरों की नियमानुसार निलामी कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवायें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर